

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

21 मिल - मिमल - किसान - राजी पत्रावली
शिव जी - नवमी हेतु डिमांड 24.9.20 का
पेरा है

33
मिहिरा के नगर
(SDO), राजी

1
24.9.20

8.9.20

पत्रावली वकील-पुर्जा-के निकेड
की रक्षा में पर आठ-पेरा हुई वकील-पुर्जा
ने-निकेड-पेरा कर निकेड-किसा-
की-रम-पत्रावली-के-नव-रा-माम-
ये-हुकम-के-अनुषंग-रम-इ-प-प-प-
को-आगे-वला-न-से-चा-ये-
मिहिर-जी-विशेष-प्राप्त-कर-म-
चा-ये-
वकील-पुर्जा-के-निकेड-पर-
उक्त-इ-र-की-की-न-आ-
वकील-पुर्जा-के-निकेड-पर-उक्त-
इ-र-की-की-न-आ-पुर्जा-
का-उक्त-पुर्जा-की-विशेष-प्राप्त-
किसा-की-की-पत्रावली-माम-शुभ-
वे-र-का-र-माम-र-माम-र-माम-

शुभमाम

मामाम

मामाम
कर देना

33
मिहिरा के नगर
(SDO), राजी


के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है की विद्वान अधिवक्ता के द्वारा गण को नोटिसों के साथ किसी प्रकार के कोई भी दस्तावेजात नहीं भेजे गए हैं अगर ए होते तो उनकी रसीदे शामिल पत्रावली होती। संवत् 2069 से 2072 ग्राम देउ की दी नकल से यह ताईद होता है की अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 रेकर्डेड खातेदार हैं रेकर्डेड खातेदार को अपने अधिकारों से महरूम नहीं किया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण की उक्त आवेदन अधीन आदेश 39 3 (1) (ख) व अधीन आदेश 39 नियम 4 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार प्रतीत होती है इसलिए यह आदेश दिया जाता है की :-


आदेश

अतः बहस वकुलाय एवं सलंगन पत्रावली रेकर्ड के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 ता आवेदन अधीन आदेश 39 नियम 3 (1) (ख) व अधीन आदेश 39 नियम 4 सीपीसी त धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 2019 को जारी की गई अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।


राजकेश मीना RAS
सहायक कलक्टर
खीवसर

सर्वत निर्णय आज दिनांक 24.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।


राजकेश मीना RAS
सहायक कलक्टर
खीवसर

सेवामे



श्रीमान सहायक कलेक्टर महो.
खीवसर

प्रार्थीगण
बिड़दराम

बनाम

अप्रार्थीगण
नगाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र सं. 12/19

तारीख पेशी 24/9/20

पजावली आज तारीख पेशी पर लेकर जरिये विद्वो
स्वारीज कराने बाबत

मान्यवर जी

उपरोक्त अनुदान के प्रकरण में निम्न

निवेदन पेश है कि -

(1) यह है कि हम पक्षकारों के मध्य आपस में राजी-
नामा हो गया है अब हम उक्त प्रार्थना पत्र आगे
चलाना नहीं चाहते हैं

(2) यह है कि हम पक्षकारों के मध्य आपसी समझौसे
से आपस में राजीनामा कर लिया है एवं दावा/प्रार्थना
पत्र आगे चलाना नहीं चाहते उक्त दावा/प्रार्थना पत्र
आज तारीख पेशी पर लेकर जरिये विद्वो स्वारीज
करावे ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त
पजावली आज तारीख पेशी पर लेकर जरिये
विद्वो आज ही स्वारीज करावे ।

दिनांक 8/9/20

बिड़दराम



नगाराम

10/5